भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2535

दिनांक 02 अगस्त, 2022 / 11 श्रावण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचार

†2535. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में गुरुमुखी सहित क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ख): शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 'गुरुमुखी' भाषा नहीं है, बल्कि पंजाबी भाषा की लिपि है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में अनुसूचित/गैर-अनुसूचित भाषाओं और अन्य भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। एनईपी, 2020 में प्रावधान किया गया है कि जहां भी संभव हो, शिक्षा का माध्यम कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। इस नीति में यह प्रावधान भी किया गया है कि घरेलू भाषा/मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं और शिक्षकों को पढ़ाई के दौरान द्विभाषी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अधिक से अधिक उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) और उच्चतर शिक्षा के अधिक से अधिक कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा का उपयोग किया जाए और/अथवा द्विभाषी कार्यक्रमों की पेशकश की जाए। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर अनुसूचित/गैर-अनुसूचित और शास्त्रीय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने का कार्य करता है। सीआईआईएल सभी भाषाओं के विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, भारतीय भाषाओं के भाषाई डेटा संघ, भारत की लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और परिरक्षण की योजना (एसपीपीईएल), भारतवाणी आदि जैसी विभिन्न योजनाएं चलाता है।

*****